

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक - 14 / 16 / MIS / 2016 / ग्रा0वि0 (4) 2832 राँची, दिनांक 23-10-17

प्रेषक,

राज कुमार,
अपर मनरेगा आयुक्त।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
झारखण्ड (गिरिडीह को छोड़कर)।

विषय :- Geo MGNREGA Phase - II परियोजना को दिनांक 01.11.2017 से लागू करने के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत होंगे कि दिनांक 01.11.2017 से आपके जिले के सभी ग्राम पंचायतों में Geo MGNREGA Phase - II को लागू किया जाना है जिसके तहत दिनांक 01.11.2017 से ली जानेवाली सभी योजनाओं का तीन चरणों में Geo tagging किया जायेगा। GeoMGNREGA Phase - II के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सभी GAS, सभी District MIS Incharge एवं सभी DGNO को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।


दिनांक 01.11.2017 से GeoMGNREGA Phase - II के सफल क्रियान्वयन हेतु दिनांक 25.10.2017 तक सभी MSEs, कम्प्यूटर सहायक एवं अन्य का Hands on प्रशिक्षण अपेक्षित है ताकि उक्त तिथि से GeoMGNREGA Phase - II को लागू करने में कोई कठिनाई न हो।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,


अपर मनरेगा आयुक्त।

ज्ञापांक :- 14 / 020 / MIS / 2015 / ग्रा0वि0 (4) 2832 राँची, दिनांक 23-10-17
प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ मनरेगा आयुक्त के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर मनरेगा आयुक्त।